C.S. 1182/2014

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जगदीश कुमार विजय किशन व अन्य.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/09/25		

वकुलाय फरीकेन उप०। बहस प्रा. पत्र. O/o 26 नियम 10ए व धारा 151 CPC दिनांकित 10/10/24 व संशोधित प्रा. पत्र दिनांकित 20/05/25 पर ~~बहस~~ सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा. पत्र में के तथ्यों के सापेक्ष- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ प्रतिवादी सं. 2 का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण के वाद- विषय से सम्बन्धित सहमति पत्र दिनांकित 14/02/12 की FSL जांच हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना - कोतवाली, बूंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक. 27/03/14 के माध्यम से मूल सहमति-पत्र मय लेमीनेशन थाना- कोतवाली ~~के माध्यम~~ की ओर से हजारी सिंह FC 400 PS- कोतवाली को FSL जांच हेतु सुपुर्द किया गया था, परन्तु न्यायालय द्वारा पत्राचार के उपरान्त पुलिस थाना- सदर द्वारा जरिए पत्र दिनांकित 16/08/24 अवगत करवाया गया कि पुलिस द्वारा FSL जांच नहीं करवाई गई तथा प्रस्तुत दस्तावेज पुन: न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत हो चुका है, जबकि उक्त सहमति-पत्र हस्तगत वाद - निर्णय के लिए आवश्यक दस्तावेज है, जिसकी FSL जांच होना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में सहमति पत्र की FSL प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दि. 27/03/14 जांच करवाने हेतु न्यायालय के निवेदन किया की पालना सुनिश्चित किए जाने का निवेदन किया है।

जवाब प्रा. पत्र में के तथ्यों के सापेक्ष- विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 (अप्रार्थी) का तर्क रहा है, FSL रिपोर्ट दीवानी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होना नहीं कहा जा सकता, साक्ष्य के बाद ही हस्ताक्षर साबित या नासाबित किया जा सकता है। अन्त में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का पुन: अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक. 27/03/14 के अवलोकन से यह जाहिर है कि उसके माध्यम से थाना- कोतवाली को मूल सहमति-पत्र दिनांकित 14/02/12 FSL जांच हेतु दिया जाकर बाद जांच FSL असल सहमति-पत्र पेश करने हेतु आदेशित किया गया था एवं आदेशिका दिनांक. 05/04/14 को थानाधिकारी पुलिस थाना-कोतवाली के ही प्रार्थना-पत्र FSL जांच के उद्देश्य हेतु मूल सहमति पत्र से लेमीनेशन हटवाकर FSL परीक्षण की अनुमति

प्रकरणाम R 639527 सहमति पत्र लेमीनेशन शुदा मय पत्र प्राप्त किया

[signature]
3-9-25

C.S. 1182/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश बनाम विजय किशन वगै.
	दी गई है, ~~उ~~ परन्तु उक्त आदेशों के बावजूद उक्त सहमति-पत्र की जांच FSL नहीं करवाई गई है तथा बिना FSL जांच करवाए ही सहमति-पत्र पुनः न्यायालय के हस्तगत प्रकरण में पेश किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण के वाद-विषय के न्यायोचित निस्तारण हेतु भी FSL जांच सहायक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव आदेशिका दिनांकित 27/03/14 व 05/04/14 सहित उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/वादी सं. (2/1) का प्रा. पत्र. न्याय-हित में स्वीकार कर थानाधिकारी, पुलिस थाना- कोतवाली को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत सहमति-पत्र आज ही न्यायालय से ~~प्राप्त करते~~ मय प्राप्ति रसीद के प्राप्त कर अविलम्ब सहमति-पत्र पर के हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में FSL जांच करवा मय जांच रिपोर्ट के सहमति-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करें। आदेशिका दि. 27/03/14 व 05/04/14 की अपालना के सम्बन्ध में तत्कालीन थानाधिकारी से स्पष्टीकरण जरिए S.P. तलब हो। पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 20/09/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं. 1, बूंदी (राज.)